रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 26] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1—जुलाई 7, 2006 (आषाढ़ 10, 1928)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1—JULY 7, 2006 (ASADHA 10, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	505
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	575
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	789
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1735
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	277
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2863
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	483
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	505
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	575
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	789
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1735
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	277
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2863
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	483
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2006

संकल्प

राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना का गठन

सं. एसएम/25/003/05

1. जबकि स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना प्रौद्योगिकियों, नीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं का संग्रह है जिसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों और संगठनों द्वारा अधिग्रहित और धारित स्थानिक आंकड़ा की प्रयोक्ताओं के विशाल, विविध और सदैव बढ़ते समुदाय की उपलब्ध और सुलभ कराने में सुविधा प्रदान करना तथा सतत् आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक, स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

और जबकि भारत सरकार स्थानिक आंकड़ा के अधिग्रहण, प्रक्रिया, भण्डारण, वितरण और उपयोग में सुधार करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना (एन.एस.डी.आई.) के रूप में ज्ञात राष्ट्रीय अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करती है जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जुटाये जा रहे स्थानिक आंकड़ों का प्रारंभिक माध्यम होगा।

और जबकि भारत सरकार की आंकड़ा सृजन एजेंसियां प्रारंभ में एन.एस.डी.आई. की योगदान करने वाली एजेंसियां होंगी और यह कि सरकार इस प्रयोजनार्थ अन्य आंकड़ा सृजन एजेंसियों की सहभागिता की राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा समिति (एन.एस.डी.आई.) के माध्यम से सुविधाजनक बनायेगी।

अब इसलिए भारत सरकार ने तदनुसार इस संकल्प में यथा विनिर्दिष्ट संरचना, कार्यों और अधिकारों के साथ एन.एस.डी.सी. की स्थापना करने का निर्णय लिया है :--

2. राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा समिति (एन.एस.डी.सी.) का गठन

एन.एस.डी.सी. का निम्नलिखित स्थायी सदस्यों के साथ गठन किया जाएगा (पदेन) :

(i)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार	सदस्य
(iii)	सचिव, अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार	सदस्य
(iv)	सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(v)	सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(vi)	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(vii)	सचिव, भू संसाधन विभाग, भारत सरकार	सदस्य
(viii)	सदस्य सचिव, योजना आयोग,	सदस्य
(ix)	सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(x)	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(xi)	सचिव, महासागर विकास विभाग,	सदस्य
(xii)	सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(xiii)	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(xiv)	महा-पंजीयक, भारत जनगणना	सदस्य
(xv)	महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग/निदेशक, एनआरएसए	सदस्य-सचिव

ऐसी तारीख एवं शर्तों पर जैसाकि एन एस डी सी द्वारा निर्धारित की जाएं, एन एस डी सी निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्त कर सकती है :--

(क) अधिकतम 5 (पांच) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी जिनके कार्यकलाप एन एस डी आई से संबंधित हो।

(ख) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस), सुदूर संवेदन, अंकीय मानचित्रण, फोटोग्रामिट्री, स्थानिक एवं गैर-स्थानिक डाटाबेसों, सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय प्रबंधन, विधि एवं अन्य संबंधित क्षेत्र - एन एस डी आई से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव एवं योग्यताएं रखने वाले अधिकतम 5 (पांच) विशेषज्ञ।

(ग) उद्योग, शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम 5 (पांच) प्रतिनिधि।

3. एन एस डी सी के कार्य एवं शक्तियां

एन एस डी आई की स्थापना, प्रचालन, प्रबंधन के लिए समुचित नीतियों, कार्यनीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन और उपयोगीकरण तथा देश में स्थानिक आंकड़ों से संबंधित अन्य कार्यकलापों हेतु एन एस डी

सी राष्ट्रीय शीर्षस्थ प्राधिकरण होगा। इसके एक भाग के रूप में, एन एस डी सी निम्नकार्यों के लिए नीतियाँ, कार्यनीतियाँ बनाएगा :--

(i) देश में स्थानिक आंकड़ों की आवश्यकता का निर्धारण और इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानिक आंकड़ों के सृजन अथवा एकत्रण का आदेश देना।

(ii) एन एस डी आई से संबंधित--इसकी स्थापना, पहुंच (एक्सेस), मूल्य आदि सहित सभी पहलुओं पर नीति निर्माण व इसे लागू करना।

(iii) स्थानिक आंकड़ा सृजन और देश में इसकी उपलब्धता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय एवं मध्यस्थता करना।

(iv) स्थानिक व्यवसाय क्षेत्रक में निवेश का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण करना और ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करे।

(v) विशेष पाठ्यक्रम आदि प्रदान करने वाले मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं को एन एस डी आई के लिए मानव संसाधन विकास कार्यकलापों को करने हेतु प्रोत्साहित करके स्थानिक आंकड़ा क्षेत्रक में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।

(vi) एन एस डी आई कार्यकलापों से संबंधित उन्नत अनुसंधान का प्रोत्साहन और देश में एन एस डीआई के लिए आर एण्ड डी के तालमेल को समर्थ बनाना।

(vii) किसी आंकड़े को ऐसे मूल्यों पर जैसा कि उचित हो उपलब्ध कराने के लिए किसी सदस्य, व्यक्ति, एंटीटीज़ अथवा संगठन को आदेश देना।

(viii) एन एस डी आई से संबंधित अथवा जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सहयोग एवं परामर्श देना।

(ix) मार्केटिंग, आंकड़ा सृजन, आंकड़ा प्रसार, पहुंच, परामर्श, किसी आंकड़े के व्यापारिक उपयोग आदि सहित, एन एस डी आई के किसी कार्यकलाप से संबंधित अथवा जुड़ी हुई किसी विशिष्ट गतिविधि को करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ उचित व्यवस्था में प्रवेश करना।

(x) ऐसे सभी कार्य एवं क्रियाकलाप करना जो एन एस डी आई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, लाभदायक या अन्यथा वांछनीय हों।

4. एन एस डी आई की कार्यकारिणी समिति का गठन

एन एस डी आई की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे (पदेन क्षमता)

(i)	भारत के महासर्वेक्षक	- अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी	- सह-अध्यक्ष
(iii)	संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	- सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग	- सदस्य
(v)	महानिदेशक, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	- सदस्य
(vi)	निदेशक, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो	- सदस्य
(vii)	निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण	- सदस्य
(viii)	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू जल बोर्ड	- सदस्य
(ix)	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	- सदस्य
(x)	महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग	- सदस्य
(xi)	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	- सदस्य
(xii)	महापंजीयक, भारत जनगणना के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xiii)	निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नैटमो)	- सदस्य
(xiv)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन एस डी आई	- सदस्य-सचिव

इसके अतिरिक्त, एन एस डी आई कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर, एन एस डी सी विनिर्दिष्ट समय के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) सुदूर संवेदन, अंकीय मानचित्रण, फोटोग्रामिट्री, स्थानिक एवं गैर स्थानिक डाटाबेसों, सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग, सोफ्टवेयर, व्यवसाय प्रबंधन विधि एवं अन्य संबंधित क्षेत्र--एन एस डी आई से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव एवं योग्यताएं रखने वाले 8 (आठ) विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है।

5. कार्यकारिणी समिति के कार्य एवं शक्तियां

एन एस डी आई कार्यकारिणी समिति इस संदर्भ में एन एस डी सी द्वारा तैयार विनियमों या अन्यथा एन एस डी सी द्वारा एन एस डी आई कार्यकारिणी समिति को निर्देशानुसार अथवा प्रत्यायोजनानुसार बताए गए कार्यों सहित एन एस डी सी के लिए और इसकी ओर से कोई एवं सभी कार्यान्वयन संबंधी तथा कार्यकारी कार्यों को करेगी। इन कार्यों एवं शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) एन एस डी आई कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय मानकों को परिभाषित और सुनिश्चित करना तथा एन एस डी आई की निर्बाध स्थापना एवं पहुंच (एक्सेस) को समर्थ बनाना।

(ii) एन एस डी आई तथा एन एस डी आई के किन्हीं अन्य उद्देश्यों एवं कार्यों का निर्धारण करने के लिए तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य उप-समितियों का गठन करना।

(iii) एन एस डी आई डाटाबेसों, सर्वरों, नेटवर्कों और पहुंच (एक्सेस) नियमों एवं फिल्टरों को समर्थ बनाने के लिए नियमों एवं कार्यविधियों को परिभाषित तथा तैयार करना।

(iv) एन एस डी सी को इसके कार्यों एवं एन एस डी आई से संबंधित अथवा जुड़े हुए किसी भी विषय पर सहायता और परामर्श देना।

(v) नए स्थानिक एवं गैर स्थानिक आंकड़ों को शामिल करके और एन एस डी आई में व्यापक भागीदारी को समर्थ बनाकर एन एस डी आई के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एन एस डी सी को परामर्श देना।

(vi) नव आगन्तुकों, निजी क्षेत्रक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए कार्यकलाप करना और एन एस डी आई से संबंधित नवोन्मेषों को बढ़ावा देना।

(vii) विकासात्मक और आर्थिक कार्यकलापों को सहयोग करने के लिए एन एस डी आई के उपयोग से संबंधित मूल्य-वर्धित-सेवाओं को प्रोत्साहित तथा आरंभ करना।

(viii) ऐसे सभी कार्य एवं क्रियाकलाप करना जो एन एस डी आई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, लाभदायक या अन्यथा वांछनीय हों।

6. नियम एवं प्रक्रियाएं

एन. एस. डी. सी. को अपने कार्य संचालन हेतु नियम और प्रक्रियाएं बनाने का अधिकार होगा। समिति की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, सभी राज्य सरकारों और देश की वैज्ञानिक संस्थाओं को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजीव नायर
संयुक्त सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2006

शुद्धि पत्र

सं. ई-11013/3/2004-हिंदी—इस विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित सम संख्यक संकल्प दिनांक 27 जून, 2005 में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

क्रम संख्या 18 में— श्रीमती जरीना के स्थाई पते को जोड़ा जाए :-
श्रीमती जरीना,
पत्नी श्री हामिद अली,
मोहल्ला मीरा चबूतरा,
ग्राम-सेवाइत, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
पिन कोड-212 503

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, केबिनेट सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

प्रभाकर
उप सचिव

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2006

सं. एन-11027/30/2006-बीएसयूपी/यूपीए-III—शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में एतद्द्वारा भूधृति कार्यबल (टास्क फोर्स ऑन लैण्ड टेन्योर) का गठन इस प्रकार किया जाता है :—

क्रम सं.		
1.	सचिव (यूईपीए)	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सलाहकार/सलाहकार एचयूडी	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (एचईपीए) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री गोपाल कृ संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय	सदस्य
5 से 10.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव/सचिव, नगर प्रशासन/शहरी विकास	सदस्य
11.	श्री ओ.पी. माथुर, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एवं पालिसी (एनआईपीएफपी), 18/2 सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 067	सदस्य
12.	श्रीमती स्वाती रामानाथन, जनगृह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी, चतुर्थ तल, यूएनआई बिल्डिंग, थिमय्या रोड़, वसंत नगर बंगलौर-560 052	सदस्य
13.	श्रीमती शीला पटेल, निदेशक, सोसाइटी फार द प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेन्टर्स (एसपीएएआरसी) दूसरा तल, खेटवाड़ी म्यूनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, पहली गली, खेटवाड़ी, निकट अलंकार सिनेमा, गिरगांव, मुंबई	सदस्य
14.	श्रीमती सुष्मिता शेखर, उपाध्यक्ष, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेसन, सुलभ ग्राम, महावीर इंक्लेव, पालम-डाबड़ी मार्ग, नई दिल्ली-110 045	सदस्य
15.	निदेशक (यूपीए)	सदस्य सचिव

2. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित भूधृति कार्यबल के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(i) देश में शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर गरीबों के संबंध में, भूधृति की मौजूदा प्रणालियों की जांच करना।

(ii) दक्षिण अफ्रीका और लेटिन अमरीकी देशों सहित/इस प्रकार के अन्य देशों में इसी प्रकार की भूधृति प्रणालियों की जांच भी करना।

(iii) इस बात की जांच करना कि राज्य सरकारों द्वारा गरीबों को किस प्रकार बंधक रखने योग्य भूस्वामित्व दिया जा सकता है ताकि बैंक/संस्थागत वित्त निर्माण/अन्य प्रयोजनों के लिए आकर्षित हो सकें।

(iv) इस बात की जांच करना कि क्या भूधृति को तीसरे पक्ष (डिफाल्टेड लोन के लिए बैंक प्रक्रिया के जरिए से भिन्न) को अन्य संक्रामणीय बनाया जाना चाहिए।

(v) मुद्दे से संबंधित कोई भी अन्य मद।

3. कार्यबल छः माह में अपनी रिपोर्ट देगा और इस अवधि के दौरान फील्ड दौरे कर सकता है।

4. सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का खर्च संबंधित सरकारी विभाग द्वारा उठाया जाएगा। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय गैर सरकारी सदस्यों को एस.आर. 190 और उसके परिशिष्ट-2 के अंतर्गत यथा अनुमत्य यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का भुगतान करेगा।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

पंकज जैन
संयुक्त सचिव

दिनांक 15 जून 2006

सं. एन-11027/37/2005-बीएसयूपी/एनयूआरएम/यूपीए-III—जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के तहत इस मंत्रालय के 3 मार्च, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले गठित की गई उच्च स्तरीय समिति में केन्द्रीय शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा नामित निम्नलिखित पांच गैर सरकारी/सामाजिक कार्यकर्ताओं/प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए इस समिति का एतद्द्वारा पुनर्गठन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है :—

1.	शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रधान सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग	सदस्य
3.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
8.	प्रो. सिडनी रिबैरो, शिक्षा विद्, ए-681, सरिता विहार, नई दिल्ली-110 076	सदस्य
9.	सुश्री पूर्णिमा चिकारमणि, अध्यक्ष, कागद काच पत्र काश्तकारी पंचायत, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, सतत् एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग, पुणे उप केन्द्र, कार्वे रोड़, पुणे-411 038	सदस्य
10.	श्री सोमदत्त, अध्यक्ष, नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल (एन ए आर ई डी सी ओ) प्रथम तल, 8, सामुदायिक केन्द्र, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110 065	सदस्य
11.	श्री रमेश रामानाथन, संस्थापक, जनगृह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी, चतुर्थ तल, यूएनआई बिल्डिंग, थिमय्या रोड़, बंगलौर-560 052	सदस्य
12.	श्री वीरेन्द्र गैंदा, सी-20, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110 049	सदस्य
13.	संयुक्त सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य आयोजक

2. उच्च स्तरीय समिति जे एन एन यू आर एम के संबंध में विशेषकर अन्य सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए विचार-विमर्श हेतु एक भागीदारी मंच उपलब्ध कराएगी। उच्च स्तरीय समिति जे एन एन यू आर एम के तहत सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का अधिकार, सस्ते मूल्यों पर आवास, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को जांच करेगी।

3. उक्त उच्च स्तरीय समिति की आवश्यकताओं की पूर्ति शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय के जे एन एन यू आर एम कक्ष द्वारा की जाएगी।

4. सदस्यों के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता के प्रति होने वाला खर्च संबंधित सरकारी विभागों द्वारा उठाया जाएगा। शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान सेवा नियम 190 तथा उसके परिशिष्ट-2 के तहत करेगा।

5. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

पंकज जैन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi, the 13th June 2006

RESOLUTION

CONSTITUTION OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

No. SMP/25/003/05.—1. Whereas spatial data infrastructure is a collection of technologies, policies and institutional arrangements to facilitate availability of and access to spatial data, acquired and held by different agencies and organisations to a vast, diverse and ever growing community of users and promote the use of the spatial data infrastructure at community, local, state, regional and national levels for sustained economic growth;

And whereas the Government of India propose to establish a national infrastructure known as the National Spatial Data Infrastructure ("NSDI") for the purposes of acquiring, processing, storing, distributing and improving utilisation of spatial data which would be a gateway of spatial data being generated by various agencies of the Government of India;

And whereas the data producing agencies of the Government of India shall be initially the contributing agencies to the NSDI and that Government through the National Spatial Data Committee ("NSDC") shall facilitate participation of other data producing agencies for such purpose;

Now therefore the Government of India has accordingly decided to establish NSDC with the composition, functions and powers as specified in this resolution:—

2. Constitution of the National Spatial Data Committee (NSDC):

The NSDC shall consist of the following permanent Members (ex-officio capacity):

(i)	Minister of Science and Technology, GoI	President
(ii)	Secretary, Department of Science & Technology, GoI	Member
(iii)	Secretary, Department of Space, GoI	Member
(iv)	Secretary, Ministry of Home Affairs, GoI	Member
(v)	Secretary, Ministry of Defence, GoI	Member
(vi)	Secretary, Ministry of Water Resources GoI	Member
(vii)	Secretary, Department of Land Resources GoI	Member
(viii)	Member Secretary, Planning Commission	Member
(ix)	Secretary, Ministry of Environment & Forest, GoI	Member
(x)	Secretary, Ministry of Urban Development, GoI	Member
(xi)	Secretary, Department of Ocean Development, GoI	Member
(xii)	Secretary, Ministry of Mines, GoI	Member
(xiii)	Secretary, Ministry of Information Technology, GoI	Member
(xiv)	Registrar-General, Census of India	Member
(xv)	Surveyor General, SOI/Director, NRSA	Member-Secretary

On and from such date and term as may be decided by the NSDC, the NSDC can appoint the following additional Members :

(a) maximum of 5 (five) Secretary rank officials of the Government of India or State Government departments whose activities are related to the NSDI;

(b) maximum of 5 (five) Experts having experience and qualifications in the fields related to NSDI— Geographical Information System (GIS), Remote Sensing, Digital Mapping, Photogrammetry, Spatial and Non-spatial databases, Information Technology, Networking, Software, Business Management, Law and other related fields;

(c) maximum of 5 (five) representatives from industry, academia and NGO's.

3. Functions and Powers of the NSDC

The NSDC shall be the apex national authority for formulating and implementing appropriate policies, strategies and programmes for the establishment, operation, management of the NSDI and utilisation and any other activities related to spatial data in the country. As part of this, the NSDC will :

(i) determine the requirement of spatial data in the country and require the creation or collection of spatial data to fill such requirement;

(ii) formulate and position policies on all aspects related to the NSDI — including its esablishment, access, pricing etc.;

(iii) decide and arbiter on issues relating to spatial data generation and its availability in the country;

(iv) promote and enable investment in the spatial business sector and to create an environment that encourages competitive excellence;

(v) promote the development of human resources in the spatial data sector by encouraging existing training

institutes, universities, institutions offering specialized courses, etc. to undertake human resources development activities for NSDI;

(vi) promote advanced research related to the NSDI activities and enable an ambience of R&D for NSDI in the country;

(vii) require any Member, persons, entities or organisations to provide access to any data at such costs as may be reasonable;

(viii) aid and advise the Central Government on any matter related to or connected with the NSDI;

(ix) enter into appropriate arrangement with any third party to undertake any specific activity connected with or related to any of the activities of the NSDI, including marketing, data generation, data assimilation, access, consulting, commercial exploitation of any data, etc;

(x) do all such acts and deeds that may be necessary, beneficial or otherwise desirable to achieve the objectives of the NSDI.

4. Establishment of Executive Committee of NSDI :

The NSDI Executive Committee shall have the following members (ex-officio capacity) :

(i)	Surveyor General of India	Chairman
(ii)	Director, National Remote Sensing Agency	Co-Chairman
(iii)	Joint Secretary, Department of Science & Tech.	Member
(iv)	Joint Secretary, Department of Space	Member
(v)	Director General, Geological Survey of India	Member
(vi)	Director, Nat. Bur. of Soil Survey and Landuse Planning	Member
(vii)	Director, Forest Survey of India	Member
(viii)	Chairman, Central Ground Water Board	Member
(ix)	Chairman, Central Water Commission	Member
(x)	Director-General, India Meteorology Department	Member
(xi)	Director-General, National Informatics Centre	Member
(xii)	Representative of Registrar-General, Census of India	Member
(xiii)	Director, National Atlas and Thematic Mapping, (NATMO)	Member
(xiv)	Chief Executive Officer, NSDI	Member-Secretary

In addition, the NSDC may appoint for a specified term, on recommendation of the Chairperson of NSDI Executive Committee, Eight (8) Experts having experience and qualifications in the fields related to NSDI — Geographical Information System (GIS), Remote Sensing, Digital Mapping, Photogrammetry, Spatial and Non-spatial Database, Information Technology, Networking, Software, Business Management, Law and other related fields.

5. Functions and Powers of the Executive Committee :

NSDI Executive Committee shall undertake any and all implementing and executive functions for and on behalf of the NSDC including functions as may be prescribed by regulations framed by the NSDC in this connection or otherwise as directed or delegated upon the NSDI Executive Committee by the NSDC. Such functions and powers would include :

(i) To define and ensure implementation of national standards for NSDI activities and to enable a smooth establishment and access to NSDI;

(ii) To constitute technical, financial or other sub-committees to establish the NSDI and any other objectives and functions under the Act;

(iii) To define and formulate rules and procedures for enabling NSDI databases, servers, networks and access rules and filters;

(iv) To aid and advise the NSDC on any matter related to or connected with its functions and the NSDI;

(v) To advise the NSDC on expanding the scope of NSDI by including newer spatial and non-spatial data and enabling a larger participation in NSDI;

(vi) To undertake activities to attract new entrants, private sector participation and stimulate innovation related to NSDI;

(vii) To encourage and set into operations value-added-services relating to the usage of NSDI for supporting developmental and economic activities;

(viii) To do all such acts and deeds that may be necessary, beneficial or otherwise desirable to achieve the objectives of the NSDI.

6. Rules & Procedures :

The NSDC shall have power to frame rules and procedures for the conduct of its business. The Committee shall meet at such time and places as fixed by the Chairman.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments, Government of India, all the State Governments and Scientific Institutions in the country.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANJIV NAIR
Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

New Delhi, the 12th June 2006

CORRIGENDUM

No. E. 11013/3/2004-Hindi—In this Department's Resolution of even no., dated 27.06.2005 regarding reconstitution the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Road Transport and Highways, the following addition shall be made :—

In serial no. 18, the following permanent address of Smt. Zareena may also be added :—

Smt. Zareena,
W/o Sh. Hamid Ali,
Mohalla Meera Chabutra,
Village Siwaith,
Distt. Allahabad (U. P.),
Pin-212503.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all the State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission and Election Commission of India.

It is also ordered that this may be published in the Gazette of India for information of general public.

PRABHAKAR
Dy. Secy.

MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 9th May 2006

No. N-11027/37/2005-BSUP-NURM/UPA-III—High Level Committee under the Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) constituted earlier vide this Ministry's OM of even number 3rd March, 2006 is hereby reconstituted, by including five non-officials/social workers/ eminent persons nominated by the Union Minister for Urban Employment & Poverty Alleviation, as under :—

1.	Minister for Urban Employment & Poverty Alleviation	Chair-person
2.	Principal Adviser (HUD), Planning Commission	Member
3.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare	Member
4.	Secretary, Ministry of Human Resource Development	Member
5.	Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment	Member
6.	Secretary, Ministry of Small Scale Industries	Member
7.	Secretary, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation	Member
8.	Prof. Sydney Rebeiro, Educationalist, A-681, Sarita Vihar, New Delhi-110 076	Member
9.	Ms. Purnima Chikarmane, President, Kagad Kach Patra Kashtkari Panchayat, S. N. D. T. Women Senior City, Deptt. of Continuing & Adult Education, Pune Sub-Centre, Karve Road, Pune-411 038.	Member
10.	Mr. Som Dutt, President, National Real Estate Development Council (NAREDCO), First Floor, 8 Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065	Member
11.	Mr. Ramesh Ramanathan, Founder, Janagraha Centre for Citizenship and Democracy, 4th Floor, UNI Building, Thimmaiah Road, Bangalore-560 052	Member
12.	Mr. Virender Ganda, C-20, South Extension Part-II, New Delhi-110 049	Member
13.	Joint Secretary, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation	Member-Convener

2. The High Level Committee will provide a participation platform for discussions relating to JNNURM particularly for convergence with other Social Sector programmes. The High Level Committee will vet the proposals/DPRs received from State Governments/Implementing agencies from the point of view of conformity to the seven point charter under JNNURM, viz. land tenure, housing at affordable cost, water, sanitation, health, education and social security.

3. The said High Level Committee will be serviced by the JNNURM Cell of the Ministry of UEPA.

4. The expenses towards TA/DA of the members will be borne by the respective Government Departments. Ministry of UEPA will pay TA/DA to non-official members, as admissible under S. R. 190 and Appendix 2 thereof.

5. This issues with the approval of the competent authority.

PANKAJ JAIN
Jt. Secy. (HEPA)

The 6th June 2006

No. N-11027/30/2006-BSUP/UPA-III.—A Task Force on Land Tenure is hereby constituted in the Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation as under :—

Sl. No.		
1.	Secretary (UEPA)	Chairman
2.	Principal Adviser/Adviser HUD	Member
3.	Joint Secretary (HEPA), Ministry of UEPA	Member
4.	Shri Gopalkrishan, JS, PMO	Member
5. to 10.	Principal Secretaries/Secretaries, Municipal Administration/UD in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, J&K, Manipur and West Bengal	Member
11.	Shri O. P. Mathur, Director, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), 18/2, Satsang Vihar Marg, Special Institutional Area, New Delhi-110067	Member
12.	Smt. Swati Ramanathan of Janagraha Centre for Citizenship & Democracy, 4th Floor, UNI Building, Thimaiah Road, Vasant Nagar, Bangalore-560 052	Member
13.	Smt. Sheila Patel, Director, Society for the Promotion of Area Resource Centres (SPAARC) 2nd Floor, Khetwadi Municipal School Building, 1st lane, Khetwadi, Near Alankar Cinema, Girgaum, Mumbai	Member
14.	Smt. Sushmita Shekhar, Vice President Sulabh International Social Service Organization, Sulabh Gram, Mahavir Enclave, Palam Dabri Marg, New Delhi-110045	Member
15.	Director (UPA)	Member-Secretary

2. The terms of reference of the Task Force on land Tenure constituted by the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation are :—

(i) To examine the present systems of land tenure in the country in urban areas, specially relating to poor.

(ii) To also examine similar land tenure systems in other countries like/including South Africa and countries of Latin America.

(iii) To examine how mortgageable land title can be given to the poor by State Governments. So that bank/ institutional finance is attracted for purpose of construction/other purpose.

(iv) To examine whether the land tenure should be made alienable to third parties (other than through bank process against defaulted loan).

(v) Any other item related to the issue.

3. The Task Force would give its report in 6 months and may undertake field visit(s) during the period.

4. The expenses towards TA/DA of the official member will be borne by the respective Government Department, Ministry of UEPA will pay TA/DA to non-official members as admissible under S. R. 190 and Appendix 2 thereof.

5. This issues with the approval of competent authority.

PANKAJ JAIN
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006